UPBJ010029872015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

सत्र परीक्षण संख्याः– 562/2015

उ0प्र0 राज्य बनाम सद्दाम आदि
मुकदमा अपराध संख्या– 97/2015
धारा– 302,307,506 भा0दं0सं0
थाना– शेरकोट, जिला बिजनौर।

दिनाँक 05–02–2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 नियत है। अभियुक्त अशोक कुमार सैनी जेल से जरिये वी0सी0 उपस्थित है, अभियुक्त रामफूल जेरे जमानत उपस्थित आया। अभियुक्तगण सद्दाम व दीपक की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, आज के लिये स्वीकृत।

प्रार्थिनी मुनीजा पत्नी नजाकत हुसैन की ओर से अन्य साक्षीगण बहादुर अंसारी, जुल्फुकार, गुलफाम व युसुफ की गवाही कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिक्तागण को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339

प्रार्थिनी मुनीजा की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 साक्षीगण बहादुर अंसारी, जुल्फुकार, गुलफाम व युसुफ की गवाही कराये जाने के आशय से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी मुकदमा उपरोक्त में मुकदमा वादिनी है तथा मुकदमा उपरोक्त साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र के अन्य गवाहों की गवाही कराना चाहती है, जो कि मौके के गवाह व पंचनामा के गवाह हैं, जिनमें बहादुर अंसारी पुत्र रमजानी, जुल्फुकार पुत्र अशरफ, गुलफाम पुत्र मुन्ने व युसुफ पुत्र सुक्खे आदि है, जिनका साक्ष्य/गवाही कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः मुकदमा उपरोक्त के गवाहान बहादुर अंसारी, जुल्फुकार, गुलफाम व युसुफ की गवाही कराये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी मुनीजा अभियुक्त सद्दाम की माँ है। इस मामले में अभियुक्त सद्दाम की पत्नी की हत्या हुई है। अभियुक्त सद्दाम के पिता नजाकत हुसैन ने थाने पर प्रार्थनापत्र गांव के ही रामफूल, दीपक एवं भीम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु दिया था। पुलिस जांच में वादी नजाकत हुसैन के पुत्र सद्दाम ही अभियुक्त पाया गया है। अतः मुनीजा अभियुक्त सद्दाम को बचाने के लिये अपने हितबद्ध गवाह पेश कराना चाहती है। प्रार्थिनी अभियुक्त सद्दाम की माँ है। अभियुक्त का साक्ष्य अवसर सफाई साक्ष्य में ही हो सकता है। प्रस्तुत मामले में कुल 10 साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करायी जा चुकी है तथा

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.02.06 12:03:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया जा चुका है। सभी मुख्य गवाहान की गवाही करायी जा चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण काफी प्राचीन वर्ष 2015 का है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

अभियुक्तगण रामफूल व दीपक की ओर से प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थिनपी मुनीजा वादिनी नहीं है, अभियुक्त सद्दाम की माँ है। सरकारी वकील साहब ने साक्ष्य समाप्त कर दिया है। अभियुक्त सफाई में गवाही करा सकता है। प्रार्थनापत्र देने का लोकस भी नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने पर बल दिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोगी मुकदमा नजाकत हुसैन की ओर से लिखित तहरीरी सूचना थाना शेरकोट जिला बिजनौर को इस आशय की दी गयी कि ''दिनांक 17–07–2015 की रात करीब 9:30 बजे मेरा लड़का सद्दाम अपनी पत्नी श्रीमती शाहीन परवीन उर्फ शमा के साथ मोटर साईकिल से ईद की तैयारी की खरीदारी करके शेरकोट से गांव आ रहा था। जब गूलर वाली जोहड़ी के पास आये तो मेरे गांव के ही रामफूल पुत्र शिखर चन्द्र, दीपक पुत्र रामफूल व भीम पुत्र टेकचन्द मिले और मोटर साईकिल रोककर दोनों को अपने हाथ में लिये तमंचों से गोली मार दी, जिससे सद्दाम की पत्नी मौके पर ही मर गई व सद्दाम गम्भीर रूप से घायल है। इस घटना को मेरे लड़के समीर उर्फ नेता व शहनसा उर्फ राजा जो पीछे–पीछे मोटर साईकिल से ही दूध बेचकर आ रहे थे, ने भी देखा है व मुल्जिमान को ललकारा तो ये फायर करते हुए भाग गये। अक्टूबर, 2015 में होने वाले पंचायत चुनाव में सद्दाम की पत्नी शाहिन परवीन उर्फ शमा जिला पंचायत सदस्य की भावी प्रत्याशी थी व इसी सीट पर रामफूल भी प्रत्याशी बन रहा था तथा वह पहले कई बार धमकियाँ दे चुका था व मुझे भी धमकी दी थी कि या तो चुनाव मत लड़ों वरना अन्जाम अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मुल्जिमान ने मेरे पुत्र व पुत्रवधू के साथ यह घटना की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।''

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मुकदमा अपराध सं0 97/2015 धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बरामदगी के आधार पर नामित रामफूल, दीपक व भीम की नामजदगी झूठी पाते हुये, अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक कुमार सैनी के विरुद्ध धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक कुमार सैनी के विरूद्ध धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। साक्षी पी0डब्लू0–1 नजाकत की मुख्य परीक्षा दिनांक 26–04–2016 एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 शहनशाह उर्फ राजा की मुख्य परीक्षा दिनांक 10–05–2016 को अंकित की गयी। वादी मुकदमा नजाकत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28–05–2016 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम को धारा 302, 307, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम के विरूद्ध धारा 302,

307, 506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त साक्षीगण पी0डब्लू0–1 नजाकत, पी0डब्लू0–2 शहनशाह उर्फ राजा, पी0डब्लू0–3 समीर मलिक, पी0डब्लू0–4 डा0 फकीरचन्द, पी0डब्लू0–5 कल्याण सिंह, पी0डब्लू0–6 अनूप सिंह, पी0डब्लू0–7 हैड कां0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू0–8 उप–निरीक्षक प्रीतम सिंह, पी0डब्लू0–9 प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह एवं पी0डब्लू0–10 है0कां0 प्रमोद कुमार का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 क्रिमिनल द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी मुनीजा जिसके द्वारा गवाहान बहादुर अंसारी, जुल्फुकार, गुलफाम व युसुफ की गवाही कराने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अभियुक्त सद्दाम की सगी माँ तथा वादी मुकदमा नजाकत हुसैन की पत्नी है। प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा नजाकत की मृत्यु हो चुकी है, जिसे साक्षी पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया जा चुका है। प्रार्थिनी मुनीजा न तो वादी है और न ही आरोप पत्र की गवाह है, बल्कि वादी मुकदमा (नजाकत हुसैन) का पुत्र सद्दाम ही विवेचना में अभियुक्त पाया गया है। मामले में अभियोजन/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) की ओर से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करायी जा चुकी है तथा अभियोजन/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) ने अपना साक्ष्य समाप्त कर दिया है। बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर यह प्रार्थनापत्र अभियुक्त सद्दाम की माँ मुनीजा द्वारा कुल चार गवाहान बहादुर अंसारी, जुल्फुकार, गुलफाम व युसुफ को तलब कर अभियोजन साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराने की याचना की गयी है। एक प्रकार से देखा जाय तो प्रार्थिनी मुनीजा अभियुक्त सद्दाम की पैरोकार है। उसके द्वारा मामले को विलम्बित करने के आशय से अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् अभियोजन के अन्य गवाहों को प्रार्थिनी द्वारा तलब करने का निवेदन किया गया है, जबकि अभियोजन/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) ने इसका विरोध किया है। चूंकि अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अभियोजन साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामला इस न्यायालय के अति प्राचीनतम वादों (सन् 2015) में से एक है और **एक्शन प्लान** के अन्तर्गत चिन्हित है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना है। अभियुक्त की मंशा येन–केन–प्रकारेण इस प्राचीनतम वाद को विलम्बित करने की रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी मुनीजा (अभियुक्त सद्दाम की माँ) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी मुनीजा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–339 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0, दिनांक 09–02–2026 को पेश हो। सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनाँक 05–02–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।